**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 2273**

**06 दिसम्बर,2016को उत्तर के लिए**

**उरी सैन्य कैम्प पर आतंकवादी हमला**

**2273.श्री प्रमोद तिवारी:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू-कश्मीर के उरी में हुआ आतंकवादी हमला किस आतंकी संगठन द्वारा कराया गया था;

(ख) इस आतंकवादी हमले में हमारे देश के कितने सैनिक शहीद हुए एवं कितने जख्मी हुए;

(ग) क्या इस आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर  
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष भामरे)**

(क): राष्ट्रीय जांच एजेंसी घटना की जांच कर रही है। जांच पूरी नहीं हुई है।

(ख): घटना में कुल 19 सेना कार्मिक शहीद हुए और 18 घायल हुए।

(ग) और (घ): सभी शहीद सैनिकों को वित्तीय सहायता नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है। शहीद रक्षा कार्मिक के निकट संबंधी (एनओके) के लिए 1.1.2016 से स्वीकार्य अनुग्रह एकमुश्त प्रतिपूर्ति के ब्यौरे निम्नानुसार हैः-

|  |  |
| --- | --- |
| ब्यौरे | राशि |
| आतंकवादी आदि द्वारा हिंसा के कार्यों के कारण ड्यूटियों के दौरान मृत्यु | 25 लाख रुपए |
| युद्ध में शत्रु कार्रवाई अथवा सीमा पर हुई मुठभेड़ अथवा उग्रवादियों, आतंकवादियों आदि के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान घटित मृत्यु | 35 लाख रुपए |

इसके अलावा, अन्य हितलाभ जैसे कि उदारकीकृत परिवार पेंशन, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान इत्यादि मौजूदा नियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, अफसर तथा जेसीओ/अन्य रैंक सेना समूह बीमा निधि से क्रमशः 60 लाख रुपए और 30 लाख रुपए प्राप्त करने हेतु हकदार हैं।

\*\*\*